Regarding sale of Jute by farmers at MSP

श्री अधीर रंजन चौधरी **(**बहरामपुर**):** सभापति महोदय, सदन में प्रश्नकाल के दौरान यह संदेश आया कि हमारे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22 आइटम्स पर दिया जाता है। उसमें जूट का एक क्विंटल का भाव पांच हजार पचास रुपये तय हुआ है।

मैं हिन्दुस्तान के उस जिले से आता हूं, जिस जिले में सबसे ज्यादा जूट की पैदावार होती है। वहां लाखों की तादाद में किसान, सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि सारे बंगाल में जूट ग्रोवर के रूप में वह माना जाता है। लेकिन जेसीआई उससे जूट की खरीद नहीं करते तो यह ब्योरा देने का क्या मतलब है? अगर जेसीआई जूट उन लोगों से न खरीदे तो वे बेचारे किसान कहां जाएं?

बाजार में बिचौलिया है, बाजार में महाजन लूट रहे हैं। इसके साथ-साथ नेशनल जूट बोर्ड बहुत बात करती है कि हम डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाने में मदद देकर मार्केट एक्सपोजर देंगे। वहां के जो किसान जूट के डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं**,** उन लोगों के साथ भी धांधली कर रहे हैं। आज जूट ग्रोवर की हालत दिन प्रति दिन बदतर होती जा रही है।

मैं सदन से गुजारिश करूंगा, मेरी मंत्री जी से दरख्वास्त रहेगा कि जब सदन में बताया जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पांच हजार पचास रुपये है। कितने किसानों ने पांच हजार पचास रुपये में कितना जूट बेचा है, इसका भी ब्योरा देना चाहिए।